दिनांक 09.10.2012 को उपायुक्त, चतरा की अध्यक्षता में सम्पन्न समाज कल्याण से संबंधित बैठक की कार्यवाही।

1— उपस्थिति पंजी में संधारित हैं ।

'कार्यवाही'

सर्वप्रथम गत बैठक की कार्यवाही की समीक्षा की गई। समीक्षोपारान्त इस जिलान्तर्गत संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रो में सेविका/सहायिका की रिक्ति से संबंधित अद्यतन जानकारी प्राप्त की गई। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा रिक्ति की स्थिति निम्नवत बताया गया :—

क्र	परियोजना का नाम	रिक्त	
		सेविका	सहायिका
1	चतरा ग्रामीण	3	3
2	सिमरिया	1	1
3	टंडवा	0	1
4	ईटखोरी	1	1
5	हंटरगंज	2	2
6	प्रतापपुर	3	5
	कुल	**10**	**13**

रिक्ति पर नाराजगी जाहिर करते हुए सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियो को निदेश दिया गया कि किसी भी परिस्थिति में इस माह के अन्त तक रिक्तियों के विरूद्ध आम सभा के माध्यम से सेविका/सहायिका का चयन करते हुए अनुमोदन का प्रस्ताव जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

सेविका चयन हेतु किया जानेवाला आम—सभा स्पष्ट होना चाहिए। हाथ की गिनती को नही माना जाना चाहिए। पोषक क्षेत्र की बाहुल्यता में अत्यधिक सावधानी बतरने की आवश्यकता है ताकि अनावश्यक विवाद पैदा नही हो। जहाँ की आबादी शून्य हो उसे पोषक क्षेत्र नही माना जाय। पोषक क्षेत्र के निर्धारण के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा पत्रांक 1196 दिनांक 26.11.2011 से आपको पूर्व में ही स्पष्ट निदेश दिया जा चुका है। इसका अनुपालन आवश्यक है।

बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, ईटखोरी द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्र पाण्डेतरी का मामला उठाया गया। उन्होने बताया कि आंगनबाड़ी केन्द्र, पाण्डेतरी वस्तुतः दो ग्राम यथा पाण्डेतरी एवं सिनपुर को मिलाकर बनाया गया है। इस केन्द्र पर सिनपुर ग्राम के बच्चे नही आते है। पाण्डेतरी एवं सिनपुर के बीच की दूरी 2.5 कि0मी0 है तथा इसके बीच में एक नाला भी पड़ता है। वर्तमान में यह केन्द्र प्रभार में संचालित हो रहा है । यहाँ तीन बार सेविका चयन हेतु आम—सभा कराया जा चुका है परन्तु हमेशा हंगामे के कारण स्थगित किया जाता रहा है। पूरे मामले का जड़ पोषक क्षेत्र की जाति बाहुल्यता है। यदि पाण्डेतरी ग्राम को ही लिया जाय तो बाहुल्यता

पिछड़ी जाति की होती है और यदि इसमें सिनपुर गांव को भी लिया जाय तो बाहुल्यता अनुसूचित जाति की हो जाती है।

निदेश दिया गया कि वर्तमान में केन्द्र जैसे चल रहा है, चलने दिया जाय एवं विस्तृत प्रतिवेदन विभाग को भेजते हुए पोषक क्षेत्र की बाहुल्यता हेतु आवश्यक मार्गदर्शन प्राप्त किया जाय।

(अनुपालन :– जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, चतरा)

02–निरीक्षण/पर्यवेक्षण :– सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं महिला पर्यवेक्षिका को विगत बैठकों में निदेश दिया जा चुका है कि प्रत्येक माह में नियमित रूप से आंगनबाड़ी केन्द्रों का निरीक्षण करना सुनिश्चित करेंगी तथा निरीक्षण प्रतिवेदन के साथ संबंधित आंगनबाड़ी केंन्द्रों के बच्चों सहित पर्यवेक्षिका का फोटोग्राफ निश्चित रूप से संलग्न कर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

समीक्षा के कम में कुछ महिला पर्यवेक्षिकाओं के निरीक्षण प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। अवलोकनोपरान्त निदेश दिया गया कि निरीक्षण प्रतिवेदन की एक प्रति बाल विकास परियोजना पदाधिकारी अपने स्तर से उप निदेशक, कल्याण, उतरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग के माध्यम से आयुक्त महोदय के अवलोकनार्थ भेजना सुनिश्चित करें।

03–मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना :– इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2011–12 में अनुमोदित कुल–838 लाभुको में से वर्त्तमान समय तक मात्र 769 लाभार्थियों के ही आवेदन राष्ट्रीय बचत प्रमण–पत्र हेतु उपलब्ध कराये गए है तथा इतने ही लाभार्थियों की राशि डाकघर को आवेदन के साथ उपलब्ध कराया गया है। वर्तमान समय तक गत वित्तीय वर्ष का ही लक्ष्य पूर्ण नही होने पर काफी नाराजगी जाहिर किया गया एवं निदेशित किया गया कि किसी भी परिस्थिति में अवशेष आवेदन के N.S.C से संबंधित फॉम 20.10.2012 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

साथ ही निर्णय लिया गया कि वर्त्तमान समय तक प्राप्त राष्ट्रीय बचत प्रमाण–पत्र को मूल रूप में सरकारी निदेश के आलोक में बाल विकास परियेाजना पदाधिकारी अपने–अपने कार्यालय में सुरक्षित रखेगे तथा इससे संबंधित पंजी का विधिवत संधारण करना सुनिश्चित करेगें।

यह भी निर्णय लिया गया कि प्राप्त N.S.C की छायाप्रति माह नवम्बर 2012 के द्वितीय अथवा अन्तिम सप्ताह में परियोजनावार शिविर लगाकर लाभुको के अभिभावक को उपलब्ध कराया जाएगा ताकि इसकी जानकारी उन्हें भी हो तथा इसका वृहत प्रचार–प्रसार हो सकें।

वित्तीय वर्ष 2012–13 के लाभुको के संबंध में समीक्षा करने पर कार्यालय द्वारा बताया गया कि विभिन्न परियोजनाओं से वर्त्तमान समय तक कुल– 370 आवेदन प्राप्त हुए है। आवेदन के साथ संलग्न संस्थागत प्रसव आदि कई निजी क्लिनिक एवं नर्सिग होम से जारी किया गया है। निर्णय लिया गया कि असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, चतरा से इस जिलान्तर्गत वैद्ध/मान्यता प्राप्त नर्सिग होम की सूची प्राप्त की जाय। तद्नुसार आवेदन का छंटनी किया जाय। इस बात का घ्यान रखा जाना आवश्यक है कि किसी भी परिस्थिति में गलत लाभुक का चयन नही हो सके।

04–पोषाहार :– समीक्षा के कम में कार्यालय द्वारा बताया गया कि माह जुलाई 2012 तक का पोषाहार की राशि संबंधित सेविकाओं के खाता में जमा कराया जा चुका है। S.C.P मद में आवंटन अप्राप्त रहने के कारण माह

अगस्त 2012 की राशि की निकासी नही की गई है। माह सितम्बर 2012 का अभिश्रव किसी भी परियोजना से प्राप्त नही है। निदेश दिया गया कि प्रत्येक माह के 5 वीं तारीख तक निश्चित रूप से पोषाहार का अभिश्रव जिला समाज कल्याण कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अभिश्रव के साथ संबंधित मुखिया का प्रमाण–पत्र विहित प्रपत्र में आवश्यक है। यह भी स्पष्ट किया गया कि मुखिया अथवा पंचायत समिति सदस्य दोनो में से किसी के द्वारा भी उक्त प्रमाण–पत्र दिया जा सकता है।

05–मुख्यमंत्री कन्यादान योजना :– इसकी समीक्षा के क्रम में कार्यालय द्वारा बताया गया कि इसके तहत विभाग द्वारा जिले का लक्ष्य एवं आवंटन प्राप्त है जिसे सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को उपावंटित किया गया है।

गत माह के बैठक में ही स्पष्ट किया जा चुका है कि इस योजना के तहत चयनित लाभुको के आवेदन अथवा सूची संबंधित मुखिया/पंचायत समिति सदस्य से पारित कराकर भेजी जाय। सूची को अपने कार्यालय के सूचना पट्ट पर भी प्रकाशित करें तथा 07 दिनों के अन्दर आपत्ति (यदि किसी का हो) की भी मांग कर ली जाय। इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

निदेश दिया गया कि इस माह के अन्त तक आवेदन छंटनी कर जिला मुख्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे ताकि नवम्बर माह के द्वितीय सप्ताह में शिविर लगाकर कन्यादान के लाभुको को लाभान्वित किया जा सकें।

06–कुपोषण :– समीक्षा के क्रम में जिला समाज कल्याण पदाधिकारी एवं जिला समन्वयक द्वारा बताया गया कि M.T.C में बच्चों की उपस्थिति अपेक्षाकृत कम हो गई है। इसे गंभीरता से लेते हुए सभी महिला पर्यवेक्षिका को पुनः निदेशित किया गया कि प्रत्येक माह कम से कम 02 बच्चों की उपस्थिति प्रत्येक महिला पर्यवेक्षिका द्वारा सुनिश्चित करायी जाय। साथ ही M.T.C से इलाज कराकर वापस गए बच्चों को follow-up के लिए पुनः M.T.C में भेजने हेतु संबंधित महिला पर्यवेक्षिका उनके अभिभावक को प्रोत्साहित करें।

07– स्वामी विवेकानन्द निःशक्त प्रोत्साहन योजना :– समीक्षा के क्रम में सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा इसके तहत सम्मान राशि के वितरण की स्थिति निम्नवत बताया गया :–

क्र0	परियोजना का नाम	वितरण की स्थिति
1	चतरा ग्रामीण	माह– जून 2012 तक
2	ईटखोरी	माह– अगस्त 2012 तक
3	सिमरिया	माह– अगस्त 2012 तक
4	टण्डवा	माह– अगस्त 2012 तक
5	हण्टरगंज	माह– अगस्त 2012 तक
6	प्रतापपुर	माह– जून 2012 तक

निदेश दिया गया कि इस योजना की राशि स–समय लाभुको के खाता में भेजना सुनिश्चित करें।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

19/10/12

उपायुक्त,
चतरा।

ज्ञापांक.....584...../स0क0 दिनांक.....19.10.12.....

प्रतिलिपि :– आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– निदेशक समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग, झारखण्ड रांची को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी/महिला पर्यवेक्षिका को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, चतरा को सूचनार्थ एवं जिला के Website पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

19/10/12

उपायुक्त,
चतरा।